

**शपथ पत्र**  
(60 वर्ष उपरान्त पेंशन)

मैं \_\_\_\_\_ सुपुत्र / सुपुत्री / पत्नी श्री \_\_\_\_\_  
निवासी \_\_\_\_\_ जिला \_\_\_\_\_ बोर्ड पंजीकरण  
संख्या \_\_\_\_\_ पंजीकरण तिथि \_\_\_\_\_ सत्यनिष्ठापूर्वक  
निम्नलिखित घोषणा करता / करती हूँ:-

1. मेरी आयु दिनांक \_\_\_\_\_ को साठ वर्ष पूर्ण हुई है जो बोर्ड में दर्ज रिकार्ड दस्तावेजों के अनुसार सही है जिसकी प्रति साथ सलंग्न है।
2. मैं किसी भी सरकारी विभाग / संस्था / बोर्ड / निगम से किसी भी प्रकार की पेंशन प्राप्त नहीं कर रहा / रही हूँ।
3. सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, हरियाणा से बुढ़ापा सम्मान भत्ता नहीं ले रहा / रही हूँ तथा मैंने उक्त विभाग के जिला कार्यालय से इस संदर्भ में प्रमाण पत्र क्रमांक संख्या \_\_\_\_\_ दिनांक \_\_\_\_\_ प्राप्त किया है जिसकी प्रति साथ सलंग्न है।
4. मेरी पेंशन के साथ मेरी आधार संख्या को जोड़ने व बैंकों / सरकारी विभागों के साथ सूचना सांझा करने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है।
5. प्रत्येक वर्ष के अन्तिम माह दिसम्बर तक अगर मेरे द्वारा जीवन प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता है तो बोर्ड को मेरी पेंशन बंद करने का अधिकार होगा।

ऊपर दिया गया विवरण मेरे सर्वोत्तम ज्ञान एवम् विश्वास के अनुसार सही व सत्य है यदि मेरे द्वारा गलत तथ्य बताकर पेंशन प्राप्त की जाती है तो बोर्ड को मेरी पेंशन बंद करने व प्राप्त की गई राशि को वसूल करने का अधिकार होगा।

स्थान:

आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर / अंगुठे का निशान

तिथि:

मो० नं०: \_\_\_\_\_